न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 35/2019

इस्माईल पुत्र भम्बड जाति मेव निवासी ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. मुस्ताक
2. इस्लाम पुत्रगण आमीन जाति मेव निवासी ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मौहम्मद खां वकील वादी

दिनांक :– 11.11.2019

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 537/0.97 है0 बांके ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी पर वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण लठ्ठ व ताकत के बल पर वादी की आराजी को जबरन दबाना चाहते है तथा आराजी में प्रतिवादीगण ने नींव खोदना शुरू कर दिया है। वादी ने प्रतिवादीगण से मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तुझे जान से खत्म कर देगे तथा ग्राम के व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण से नाजाईज कब्जा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने नींव खोदना बन्द कर दिया। परन्तु आज दिनांक 29.03.2019 को प्रतिवादीगण पुनः नींव खोदना शुरू कर दिया वादी ने प्रतिवादीगण से मना किया तो वे लडाई झगडे पर आमादा हो गये और कहा कि हम आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेगे। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में जबरन नींव न खोदे एवं मजाहमत व मदाखलत नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध दिनांक 03.04.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुत0 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादी अपने हिस्सा 1/4 पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर आज भी वादी का कब्जा व काश्त है। परन्तु प्रतिवादीगण का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करना चाहते हैं एवं विवादित आराजी में नींव खोदना चाहते है। प्रतिवादीगण को ताफैसला मुकदमा जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नं0 537/0.97 बांके ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी पर वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी [redacted] की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 537/0.97 है0 बांके ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं मौंके की यथास्थिति बनाये रखे। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

इजलास जगदीश आर्य आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 35/2019

इस्माईल पुत्र भम्बड जाति मेव निवासी ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. मुस्ताक
2. इस्लाम पुत्रगण आमीन जाति मेव निवासी ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ जगदीश आर्य आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब वकील प्रति0 X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 537/0.97 है0 बांके ग्राम शहडूंगर तहसील पहाडी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं मौंके की यथास्थिति बनाये रखे।**

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05. 11 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत .....

ओहदा .....

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned by CamScanner